पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

कालूगामड़ा

ग्राम पंचायत – भोजातों का ओड़ा

ब्लॉक/पंचायत समिति – दोवड़ा

तहसील एवं जिला – डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास – पुराने समय में कालू गामड़ा गाँव में "**कालूगढ़**" नाम का एक स्थान हुआ करता था। वहाँ एक ठाकुर रहते थे उनका एक लड़का था जिसका नाम गजराज सिंह था। ठाकुर बाहर पलायन कर गए। ठाकुर की एक पत्नी चारण जाति की थी। गजराज सिंह के कुटुंब के अभी गाँव में सिर्फ दो परिवार (चारणों के) रहते हैं। पुराने जमाने में "**कालूगढ़**" में जैन लोग भी रहा करते थे। महामारी के कारण वहाँ कई लोग मर गए और कालूगढ़ उजड़ गया और जैन लोग भी पलायन कर गए। लगभग 1857 में गाँव फिर से बसा। कालूगढ़ के कारण इस गांव का नाम कालू गामड़ा पड़ा। ऐसी भी मान्यता है कि गांव का नाम कालू गामड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर बड़े-बड़े काले पत्थर थे। गाँव में बड़े-बड़े काले पत्थर आज भी हैं। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि गांव में कालु जी नाम के एक बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे जिनके नाम से ही कालू गामड़ा का नाम पड़ा। पहले आस पास घने जंगल हुआ करते थे। धीरे-धीरे जंगल समाप्त होते गए और आज गाँव में जंगल के नाम पर कुछ भी बचा नहीं हैं।

गाँव का एक परिचय – डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 33 कि.मी. दूर उत्तर दिशा में कालूगामड़ा गाँव हैं। जिसकी ग्राम पंचायत भोजातों का ओड़ा और ब्लॉक/पंचायत समिति दोवड़ा तथा तहसील एवं जिला डूंगरपुर है। गाँव में लगभग 152 परिवार पहाड़ियों के बीच कच्चे मिट्टी और खपरैल के मकानों में रहते हैं। गाँव की जनसंख्या लगभग 850 है। गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान और बस स्टेंड नहीं है वह तीन कि.मी. दूर भोजातों का ओड़ा में है। पशु चिकित्सालय गाँव में न होकर 9 कि.मी.दूर फलोज में है। गाँव में शिलालेख 20 साल पहले हुआ था। जिसका सिर्फ पत्थर बचा हुआ है उस पर "**क्या लिखा था और क्यों वह शिलालेख हुआ था**?" इसकी जानकारी अधिकतर गाँववासियों को नहीं है। नया शिलालेख और गाँव सभा का गठन 5 जनवरी 2018 को हुआ। पेसा कानून की समझ अब कुछ गाँववासियों को है। गाँव के लोगों को दैनिक खरीददारी के लिए 8-10 कि.मी. दूर हथाई/रामगढ़ या पुनाली जाना पड़ता है। गाँव में दो मंदिर है - एक पिपलान माताजी और एक करणी माताजी का मंदिर है। एक दशा माता का पूजा स्थल नया बना है। गांव का पूरा रकबा 244 हेक्टेयर है। सामूहिक जमीन का सामुदायिक दावा नहीं किया है लोग अपने कब्जे की जमीन पर पेड़ लगाए हुए हैं जो फलदार इमारती और जलाऊ होते है। इनका उपयोग लोग स्वयं करते हैं इनसे आय की कोई गुंजाइश नहीं है। गांव में एक पहाड़ी है जिस पर कोई वृक्ष नहीं है। खाने में लोग रोटी सब्जी कभी-कभी दाल खाते हैं। सब्जी और दाल तभी बनती है जब मजदूरी से पैसा मिलता है अन्यथा मिर्ची लहसुन नमक की चटनी से गुजारा करना पड़ता है। गाँव के अधिकतर लोगों का जीवन गरीबी में ही कट रहा है रोजमर्रा की जरूरतें बमुश्किल ही पूरी हो पाती हैं। अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा जीते जी नहीं मिलेगा यही दुर्दशा बच्चों की भी होगी यह चिंता उन्हें सताती रहती है।

आवागमन की स्थिति – डूंगरपुर से कालूगामड़ा जाने के लिए दोवड़ा ब्लॉक मुख्यालय से होते हुए हथाई तक बस मिलती है। हथाई के बाद गाँव तक जाने के लिए घंटों टेम्पो या जीप का इन्तजार करना पड़ता है। हथाई से कालूगामड़ा गाँव करीब 5 किलोमीटर दूर है। जीप और टेम्पो

कालूगामड़ा स्टेण्ड तक जाते है। कालूगामड़ा बस स्टेंड से गाँव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। वहाँ से 2-5 कि.मी.पैदल या अपने साधन से आना-जाना पड़ता है। कालूगामड़ा के आदिवासी परिवार उबड़-खाबड़ जमीन पर बसे हुए हैं। लोगों को अपने घरों तक आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते और सकरी पगडंडियां हैं, जहां वाहन नहीं पहुंच सकता।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में 152 घर है जिनके बच्चों हेतु केवल एक आगनवाड़ी और एक प्राथमिक विद्यालय है जिनमें गांव के सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन गाँव के लोगों को इस बात का अफसोस है कि बच्चों को कुछ पढ़ना या लिखना नहीं आता है। कक्षा छठवीं से बारहवीं तक पढ़ाई के लिए बच्चों को भोजातो का ओड़ा पैदल जाना पड़ता है जहाँ सड़क का भी अभाव है। गरीबी के चलते लोग अपने बच्चों को साइकिल तक नहीं खरीद पाते हैं। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 35 कि.मी.दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव में मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र भोजोतों का ओड़ा में है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको फलोज(10 कि.मी.) या डूंगरपुर(35 कि.मी.) दूर ले जाना पड़ता है। आदिवासी परिवारों को 2-5 कि.मी. पैदल मरीजों को चारपाई या झोली में डालकर अथवा अपने निजी साधन से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दुकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए भी रामगढ़/पुनाली अथवा हथाई 8-10 कि.मी. दूर जाना पड़ता हैं। पशु अस्पताल भी गाँव में नहीं है वह भी 10 कि.मी. दूर फलोज में है।

गाँव की विभिन्न समस्याओं का विवरण निम्नप्रकार हैं -

आवागमन की कमी - डूंगरपुर दोवड़ा मुख्य सड़क पर हथाई से 8-9 कि.मी.दूर कालूगामड़ा गाँव बसा हुआ है। हथाई से एक डामरीकृत सड़क जो बीच-बीच में टूटी हुई है कालूगामड़ा तक आती है और हथाई बस स्टेंड पर घंटों इंतजार के बाद टेम्पो अथवा जीप मिलती है। कभी-कभी साधन नहीं मिलने के कारण गाँव तक पैदल ही आना-जाना पड़ता है। फलों के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है। गाँव के फलों से मुख्य सड़क तक आने का कोई साधन नहीं है। लोग 3 से 4 कि.मी. पैदल आते-जाते हैं। बरसात में गाँव के भीतरी फलों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़-खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना-जाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - धान उन्हीं लोगों के खेतों में होता है जिनके खेतों में पानी रुकता है और स्वयं का सिंचाई साधन है। धान के अलावा कृषि भूमि में गेहूं, मक्का, और उड़द आदि फसल पैदा करते हैं। खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सिंचाई के लिए लोगों के पास बिजली से चलनेवाले और डीजल पम्प सेट हैं। गर्मी में भू-जल स्तर नीचे चला जाता है। अभी तक भू जल स्तर को ऊंचा करने की कोई

योजना गाँव के लोगों के पास नहीं है। गाँव में पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोगों से दांत पीले और हड्डियाँ टेड़ी हो गयी है। जिससे उनको चलने फिरने में कठिनाई होती है। फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति के बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है। गाँव में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक आर. ओ. प्लांट है लेकिन परिवार दूर-दूर बसे होने से सारा गाँव उसका लाभ नहीं ले पा रहा है मात्र 20-25 परिवार को ही इसका लाभ मिलता है। गांव में पीने के पानी के लिए करीब 23 हैंडपंप हैं और लोग कुए का भी पानी पीते हैं। गाँव वासियों को गर्मियों में पीने के पानी के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर जल प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है चाहे वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गांव का पूरा रकबा 244 हेक्टेयर है। खेती की जमीन है 114 हेक्टेयर है और बेनामी जमीन 76 हेक्टेयर है। ज्यादातर बच्चे दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं मजदूरी पर लग जाते हैं। गांव में उन्हें काम नहीं मिलता है तो गुजरात के शहरों में चले जाते हैं। सरकारी नौकरी में 4 लोग हैं जिनमें एक अध्यापक, एक ए.एन.एम., एक इंजीनियर और एक लिपिक है। कृषि भूमि बहुत कम होने से कुछ ही लोग गेहूं, मक्का ,उड़द आदि फसल पैदा करते हैं। गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उनकी खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कुछ परिवारों के पास घर के अलावा खेती की कोई जमीन नहीं है। पहाड़ बिल्कुल खाली हैं। लोगों ने अपने कब्जे की जमीन में कुछ फलदार इमारती और जलाऊ लकड़ी के पेड़ लगाए हैं जो केवल निजी उपयोग के लिए ही हैं। उनसे किसी प्रकार की आय नहीं होती है। जंगल नहीं होने से वनोपज से वंचित है। पहाड़ों(काली चट्टानों) में कोई खनिज संपदा है या नहीं इसकी जानकारी गाँववासियों को नहीं है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नाला - कुआं - 48 हैंडपंप - 23 ट्यूबवेल - 2 तालाब - 1 अडुवा वाला/ तालाब(हरीवाला) एनिकट- 6(2 बिलकुल टूटे) चेक डैम - 4	गाँव से एक नाला निकलता है जिस में बरसात में पानी भरा रहता है। नाले पर चार एनीकट- वडलावाला, हरीवाला, कालियावाला, श्मशान घाट के पास बने हैं लेकिन वह टूट-फूट गए हैं जिसके कारण बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। गाँव में 48 कुँए हैं वह गर्मियों	एनीकट की मरम्मत करके ठीक कर दिया जाए तथा उस नाले पर और नया एनीकट बनाया जाए और गाँव के पहाड़ों के दर्रे पर चेक डैम का निर्माण और गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत कर दी जाए और गांव में खाली पड़ी जमीन पर नया तालाब निर्माण कर दिया जाए तो गाँव के लोगों की

	में सूख जाते हैं। हैंडपंप 23 है जिनमें से चार हैंडपंप खराब भी पड़े हैं। गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पानी कम हो जाता है। अड़ुवा वाला तालाब (हरीवाला तालाब) भी बरसात के बाद सूख जाता है।	सिंचाई का संकट दूर हो सकता है और भू-जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव का रकबा 244 हेक्टेयर है। जिसमें से 114 हेक्टेयर कृषि भूमि है। बेनामी जमीन 76 हेक्टेयर और चारागाह 13 हेक्टेयर है। गाँव में समतल, ढलान, उबड़-खाबड़, काले पत्थरवाली जमीन है। समतल जमीन उपजाऊ है। गाँव में चारागाह भी है जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। गाँव की संपूर्ण चरागाह भूमि पर अलग-अलग परिवारों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि और जो बिला नाम जमीन हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गाँव सभा के अधीन करके उस पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती करके भी आय बढ़ाई जा सकती है। खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण समस्या है इसके लिए गांव में उपलब्ध पानी के सभी स्रोतों की मरम्मत और नए निर्माण जरूरी है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। पशु पालन भी कर पाना उनके लिए कठिन है क्योंकि उनके पास चारा चराने की जगह नहीं है। मार्च के बाद जुलाई तक सभी लोगों को बसों का चारा खरीदना पड़ता है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं। चारे और पानी की कमी के कारण गर्मी में उनके पशु बहुत कमजोर हो जाते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी – खेती और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गाँव में नहीं है। कृषि भूमि कम होने के कारण लोग मनरेगा में मजदूरी करते हैं या

गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। मनरेगा में मजदूरी 100 रु. के आस पास तक मिल जाती है लेकिन काम पूरे 100 दिन नहीं मिलता है; मात्र 60-70 दिन ही मिलता है। गुजरात में काम करने वाले लोगों को 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी मिलती है। इसलिए मनरेगा में अधिकतर महिलाएं ही जाती है उससे भी उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल होता है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - गांव के अधिकतर लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित है। करीब 9 पात्र लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है और 7 विकलांग ऐसे हैं जिनको करीब 1 वर्ष से विकलांग पेंशन नहीं मिल रही है। गांव में 3 विधवाएं ऐसी हैं जिन्हें विधवा पेंशन नहीं मिल पाई है। गांव में करीब 132 परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं लेकिन उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में किसी का भी श्रमिक कार्ड नहीं बना हैं। यही स्थिति उज्जवला गैस कनेक्शन की भी है। सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में कई लोग आवेदन तक नहीं कर पाते हैं। राशन की दुकान पर भी कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। अक्सर राशन की गुणवत्ता खराब होती है। राशन की दूकान से गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मिट्टी का तेल और चावल नहीं मिलते है। तीन-चार महीने में एक बार चीनी मिलती है। मिट्टी का तेल नहीं मिलने से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	सार्वजनिक	मुख्य सड़क से गाँव तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है गाँव के एक फले से दूसरे फले तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है। लोगों को घर तक पगडंडी से जाना पड़ता है बीच में दूसरे की जमीन होने से पगडंडी को चौड़ा करना मुश्किल है। क्योंकि वह लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं।	गाँव सभा के गठन के बाद जहां-जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते के संकट का समाधान होने की संभावना है। लेकिन लोगों को अपने घरों तक रास्ता बनाने में आम सहमति नहीं बन सकी है क्योंकि बीच में दूसरे की जमीन है और वे लोग रास्ते के लिए अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं।	तात्कालिक
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	सार्वजनिक	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के	इस समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा	तात्कालिक

			लिए न तो अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है।	विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नतशील बीज और खाद का अभाव है। जिसके कारण तालाब और कुएं बरसात के बाद सूख जाते हैं।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के तालाब की मरम्मत और खाली जमीन पर नया तालाब का निर्माण गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। खेती के साथ साथ बागवानी पर विशेष रूप से ध्यान देना।	**तात्कालिक**
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गांव में ज्यादातर लोगों के मकान कच्चे खपरेल के बने हैं कुछ परिवारों के मकान गिर गए हैं। प्लास्टिक की तिरपाल लगा कर बरसात के पानी से बचाव करते हैं। उनको आवास की बहुत जरूरत है उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह स्वयं आवास बना सकें। पंचायत द्वारा भी उनके आवास बनाने की अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।कुछ लोगों के आवास की राशि का फर्जी तरीके से पंचायत	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना। सैकड़ों वर्षो से लोग गांव में बसे हुए हैं लोगों ने अपनी-अपनी काबिज भूमि के पट्टे और निर्माण का दावा कर रखा है लेकिन सरकार आदिवासियों को उनका भूमि अधिकार देना नहीं चाहती है जिसके कारण उनको न तो पट्टे मिल रहे हैं और न	**तात्कालिक**

			द्वारा भुगतान करा लिया है। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। पेंशन भी गाँव के सभी पात्र लोगों को नहीं मिल रही है। कुछ लोगों की उम्र मतदाता पहचान पत्र में कम है तो कुछ लोगों की पेंशन सालों से बंद है। गाँव के लोगों को कोई यह बताने वाला नहीं है कि उम्र कैसे संशोधित करवाई जाये और बंद पेंशन फिर से कैसे शुरू की जाय।	ही जमीन का नियमन हो रहा है।	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज कल एक साजिश के तहत हर वर्ष जमीन के पट्टे के मालिकों का नाम बदल दिया जा रहा है जिससे लगातार उनको 3 वर्ष तक जमीन पर पट्टे का कब्जा ना मिले। क्योंकि 3 वर्ष तक लगातार एक ही जमीन पर कब्जा होने से किसान धारा 91 के तहत नियमन की दावेदारी कर सकता है। सरकार द्वारा बड़ी चालाकी से आदिवासी गांवों के लोगों को जमीन से बेदखली की योजना तैयार की जा रही है साथ ही साथ पट्टों की पेनल्टी लेना भी बंद कर दिया गया है जिससे उनका अधिकार स्वत: ही समाप्त होता जा रहा है।	काबिज भूमि पर गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में व्यक्तिगत दावे का मुकदमा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना।	**दीर्घकालिक**

6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव में गर्मी के मौसम में पानी का भयंकर संकट हो जाता है। जल संरक्षण की कोई योजना नहीं होने से बरसात का पानी बहकर निकल जाता है जिसके कारण गर्मी में भूजल स्तर नीचे चला जाता है। इससे ज्यादातर कुँए और हैंडपंप सूख जाते हैं और बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है जिसे ही लोग पीते हैं और इसके लिए लोगों को दूर दूर जाकर ढो कर पानी लाना पड़ता है ज्यादा गहराई का पानी पीने से उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है।फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोग फ्लोरोसिस रोग की चपेट में आ जाते हैं यही फ्लोराइड युक्त पानी उनके जानवर भी पीते हैं और वे जानवर भी फ्लोरोसिस रोक का शिकार हो जाते हैं।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण। पुराने कुओं का गहरीकरण और मरम्मत।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	**W- Weakness कमजोरी**	**O- Opportunities अवसर**	**T- Threats चुनौतियां**
आवागमन -	पक्की सड़क केवल हथाई से भोजातों का ओड़ा तक। भोजातों का ओड़ा से कालूगामड़ा तक जर्जर रास्ते की मरम्मत नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे-मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने-जाने में समय की बचत होगी। मरीजों के उपचार में भी सुविधा होगी।	गाँव सभा का मजबूत नहीं होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करना।

जल नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप एनीकट तालाब	नाले पर 6 एनीकट(2 बिलकुल टूटे हुए हैं) और चार से पानी रिस कर निकल जाता है। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं का गहरीकरण और मरम्मत तथा उनको को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत स्तर पर इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन – मनरेगा, कृषि भूमि, तालाब(मछली पालन) एनिकट(मछली पालन)	खेती की जमीन और फसल उपज कम होना। गाँव में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होना। पशुपालन के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव और चारे का अभाव में दूध और मांस का कम उत्पादन होना। गांव में मजदूरी के अवसर कम मिलना। पानी और जमीन की समस्याओं के कारण बागवानी भी नहीं कर पाना। मछली पालन नहीं करना।	गाँव में खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन। अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन। सब्जी की खेती तथा उन्नतशील बीज और खाद का प्रयोग कर आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। तालाब की मरम्मत तालाब का गहरीकरण और मछली पालन करना।	गाँव सभा का मजबूत नहीं होना। गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उबड़-खाबड़ और पथरीला और ढलान वाली होना। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। खाली पड़ी सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा और जमीन के बेहतर

	अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन का उबड़ खाबड़ और पथरीली होना तथा ढलान वाली होना	अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था करने की कार्य योजना तैयार करना।	उपयोग की योजना का अभाव।सिंचाई के साधनों का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा –

नजरिया नक्शा कालूगामड़ा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण –

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	कुआं गहरीकरण	35
2	नाले के दोनों और पक्की रिंग वाल निर्माण का प्रस्ताव	1
3	तालाब अडुआ रिंग वाल निर्माण पक्की नहर निर्माण हरिवाला तालाब रिंग वाल निर्माण	1
4	गांव की जमीन नेडा पर परकोटा कर गांव के सार्वजनिक कार्य के उपयोग में लेना	1
5	कच्ची सड़क मय पुलिया रिंग वाल 1. धावड़ी चौराहा से करणी माता तक 2. मुख्य सड़क से कुंडला वाला कुआं तक 3. मुख्य सड़क से मारगिया महूड़ा तक	3
6	एनीकट बड़ला वाला चबूतरा का जीर्णोद्धार कर रिंग वाल बनाना	1
7	पक्के चेक डैम निर्माण	18
8	सी.सी. सड़क निर्माण	2
9	सामुदायिक भवन नेडा पर बनाने का प्रस्ताव	
10	कच्चे चेक डैम निर्माण	6
11	नए हैंडपंप लगाने के संबंध में –	4
12	पुराने हैंडपंप मरम्मत के संबंध में –	4
13	खेत समतलीकरण (निजीभूमि)	41
14	आर.ओ. प्लांट	3

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया – फोटो गैलेरी

गांव सभाओं का किया गठन

डूंगरपुर। बागड मजदूर किसान संगठन के तत्वाधान में पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 (पेसा कानून) की धारा 3 (क) के तहत गावं सभाओं का गठन किया गया। पेसा कानून के अंतर्गत गावं स्वसाशन के तहत गठित गावं सभा अपने गावं के विकास की योजना स्वयं बनाकर गांव सभा में पारित करके पंचायत में जमा करती है। इसी के तहत दोवड़ा ब्लॉक की भोजातो का ओड़ा पंचायत के विकासोर और कालूगामडा गावं की गावं सभा के प्रस्ताव सरपंच ललिता देवी ने स्वीकार किये। भावडी पंचायत में मोठ, घोड़ी आमली गावं के प्रस्ताव सरपंच श्रीमती देवली देवी ने स्वीकार किये। आसेला पंचायत में सरकण कोपचा, आसेला गावं के प्रस्ताव पंचायत में सचिव ने स्वीकार किये। लोलकपुर पंचायत में सेलज गावं के प्रस्ताव पंचायत में सरपंच ने स्वीकार किये। बिछीवाडा ब्लॉक की शरम पंचायत में शरम, वाका खांडा और सड़ा के प्रस्ताव सरपंच कोकिला देवी ने स्वीकार किये।

प्रस्ताव जमा करवाने का समाचार

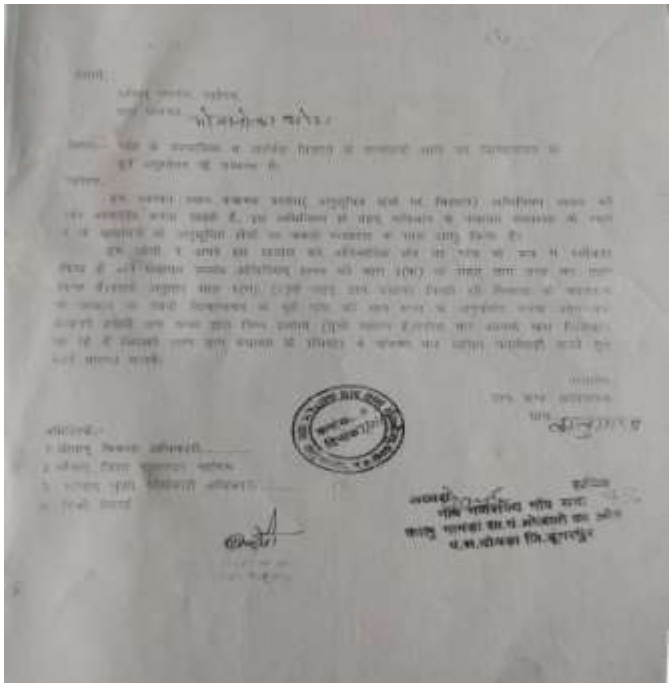

कवरिंग लैटर प्रस्ताव

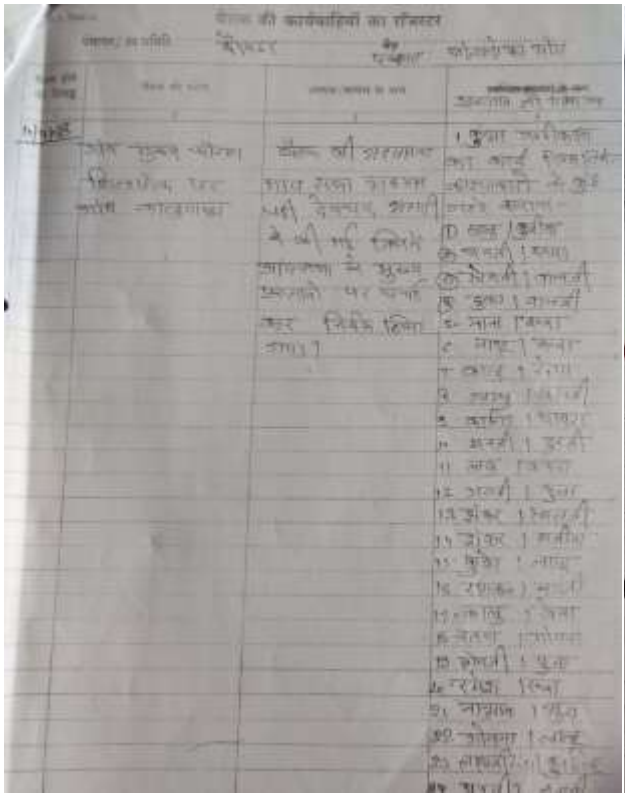

प्रस्ताव प्रथम पेज

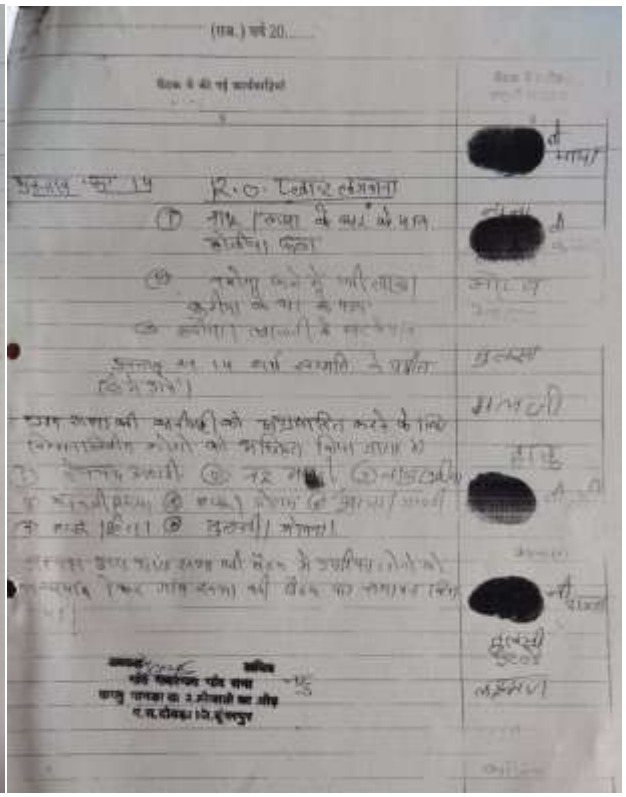

प्रस्ताव अंतिम पेज

प्रस्ताव जमा करवाते गाँव सभा के लोग

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (V.P.F.T.) के सदस्यों नाम और फोन नं.

क्रं	**नाम**	**फोन न.**
1	धनजी अहारी s/o रुपाजी अहारी	8769901895
2	नटू s/o लखमा अहारी	9783441310
3	धन जी s/o नगजी अहारी	8890149259
4	कान्तिलाल s/o जगन्नाथ अहारी	9549633741
5	देवचन्द s/o वेलजी अहारी	9660142443
6	विरमजी s/o मोगाजी अहारी	9799737386
7	शान्ता w/o गलजी अहारी	
8	मणि देवी w/o हामजी ननोमा	
9	प्रमिला देवी w/o लक्ष्मण अहारी	
10	हाजु बाई w/o गोतम अहारी	
11	हाजु बाई w/o हीरालाल अहारी	
12	लक्ष्मी w/o नारायण अहारी	
13	तुलसी बाई w/o गोमना अहारी	
14	रामलाल s/o नगजी अहारी	